

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 12073/2026

URN: CW / 26651U / 2026

1. Muskan Daughter Of Pappu, Aged About 22 Years, Resident Of Narholi, 66, Post Panhera Khurd, Police Station Saaisa, District Faridabad, Haryana, At Present Resident Of Village Roondh Ikran, Police Station Chiksana, District Bharatpur (Raj.)
2. Deepak Son Of Jaswant Singh, Aged About 21 Years, (Date Of Birth 12.03.2006), Resident Of Village Roondh Ikran, Police Station Chiksana, District Bharatpur (Raj.)

----Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Its Principal Secretary, Department Of Home, Government Secretariat, Jaipur (Raj.)
2. The Director General Of Police, Police Head Quarter, Lal Kothi, Jaipur (Raj.)
3. Superintendent Of Police, Bharatpur, District Bharatpur (Raj.)
4. S.h.o. Police Station Chiksana, District Bharatpur (Raj.)
5. Pappu Son Of Girraj, Aged About 50 Years, Resident Of Narholi, 66, Post Panhera Khurd, Police Station Saaisa, District Faridabad, Haryana.
6. Dharam Singh Son Of Baldev, Aged About 30 Years, Resident Of Bhuapur, Gurugram, Haryana.
7. Jaywati Wife Of Dharam Singh, Aged About 28 Years, Resident Of Bhuapur, Gurugram, Haryana.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Balveer Singh Beniwal
For Respondent(s)	:	Mr. Vivek Choudhary, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA**Order****17/07/2026**

यह रिट याचिका याचीगण की ओर से प्रत्यर्थी संख्या 5 लगायत 7 की ओर से उन्हें जान एवं स्वतंत्रता का खतरा पैदा करने की धमकियां मिलने के कारण प्रत्यर्थी संख्या-1 लगायत 4 को उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए जाने हेतु प्रस्तुत की है।

दोनों पक्षों को याचिका पर सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता याचीगण का तर्क है कि याचिकाकार वयस्क हैं तथा याची संख्या-1 की जन्म तिथि 18.01.2004 एवं याची संख्या-2 की जन्म तिथि 12.03.2006 है जो कि उनके द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान की अंकतालिका की प्रतियों से स्पष्टतः प्रकट हो रही है। इस प्रकार से वे दोनों वयस्क हैं। उनका तर्क है कि वे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और पूर्व से याचीगण अन्यत्र विवाहित नहीं हैं, जिसके सम्बन्ध में सहमति अभिस्वीकृति पत्र की प्रति परिशिष्ट-3 पेश की गई है। परन्तु इससे याची संख्या-1 के परिजन खुश नहीं हैं और उन्हें धमकियां दे रहे हैं, जिससे याचीगण को जान एवं स्वतंत्रता का खतरा है। उनका यह भी कथन है कि उन्होंने न्यायालय में यह याचिका प्रस्तुत करने से पूर्व अयाची संख्या-3 व 4 पुलिस अधीक्षक, जिला भरतपुर व नोडल अधिकारी/थानाधिकारी, पुलिस थाना चिकसाना, जिला भरतपुर को परिशिष्ट-4 पंजीकृत डाक से भिजवा दिया है। अतः याचीगण को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त याचिका का विरोध किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने विवाहित जोड़ों की सुरक्षा के सम्बन्ध में न्यायिक विनिश्चय प्रकाश सिंह एवं अन्य-बनाम-यूनियन ऑफ इण्डिया में निर्देश दिए हैं तथा अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक विनिश्चय लता सिंह-बनाम-उत्तर प्रदेश राज्य एआईआर 2006 एससी 2522, एस. खुशबू-बनाम-कन्नाईम्मल 2010 (5) एससीसी 600, इन्द्रा सरमा- बनाम-वीकेवी सरमा (2013) 15 एससीसी 755 तथा शफीन जहान-बनाम-असोकन केएम एवं अन्य (2018)

16 एससीसी 368 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति अपनी इच्छानुरूप रहने को स्वतंत्र है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करने का किसी को अधिकार नहीं है। वे कानून के अंतर्गत अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण प्राप्त करने के अधिकारी हैं, भले ही दो वयस्क व्यक्तियों के आपसी सम्बन्ध असामाजिक माने जावें। इसके अतिरिक्त राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 29 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह नागरिकों के जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करे।

हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों में याचीगण के कथनों की सद्भाविकता व सत्यता के सम्बन्ध में कोई भी टिप्पणी व निष्कर्ष दिए बिना तथा उक्त विधिक स्थिति को देखते हुए अयाची संख्या-1 लगायत 4 को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे याचीगण की ओर से पुलिस अधिकारीगण को प्रेषित पत्र परिशिष्ट-4 को विचार (consider) में लाएं व याचीगण की कथित असुरक्षा के सम्बन्ध में आकलन के पश्चात् असुरक्षा का तत्व पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही कर याचीगण के जीवन व स्वतंत्रता को किसी प्रकार की क्षति/हानि कारित नहीं होना सुनिश्चित करें।

तदनुसार याचिका एवं विविध प्रार्थनापत्र, यदि कोई लम्बित हो, तो निस्तारित किए जाते हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश याचीगण के विरुद्ध लम्बित या प्रस्तुत होने वाली किसी दीवानी/आपराधिक कार्यवाही को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा एवं ऐसी कार्यवाही विधि अनुसार सम्पादित की जाएगी।

(SHUBHA MEHTA),J